भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *113
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कुटुम्ब न्यायालय

***113. श्री हाजी फजलुर रहमान :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत कुटुम्ब न्यायालयों की राज्य-चार संख्या कितनी है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए, निपटाए गए और लंबित हैं ;

(ग) क्या राज्यों को इन न्यायालयों में दर्ज मामलों के निपटान में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'कुटुम्ब न्यायालय' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *113, **जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

(क) और (ख) : वर्तमान में, देश में कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों के और पिछले तीन वर्षों के दौरान फाइल किए गए, निपटाए गए तथा लंबित मामलों के, राज्यवार ब्यौरे **उपाबंध** पर दिए गए हैं ।

(ग) से (ङ) : कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, विवाह और कौटुम्बिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का उपबंध करता है । कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अधीन, राज्य सरकारों के लिए, राज्य के किसी नगर या कस्बे के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है । राज्यों में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए, जिन्हें राज्य सरकारें आवश्यक समझें, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर सकेंगी । न्यायालयों में समय से मामलों का निपटान विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहयोगकारी न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की पर्याप्त उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों, जैसे बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी और वादकारी आदि, भी सम्मिलित हैं, का सहयोग, तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित रूप से लागू होना भी है । केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है ।

कुटुम्ब न्यायालयों की कार्यवाही में देरी से तनाव बढ़ता है और भावनात्मक तनाव लंबे समय तक रहता है, जिससे विवाद के समय पर समाधान में बाधा आती है । न्यायालयों के निर्णयों के बावजूद भी बालकों की अभिरक्षा, उनसे मिलने के अधिकार और वित्तीय सहायता पर निर्णय लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिससे लगातार संघर्ष और निराशा बनी हुई है । इसके अतिरिक्त, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता महत्वपूर्ण तार्किक और वित्तीय बोझ डालती है, विशेष रूप से उन कुटुम्बों पर, जो पहले से ही तनाव में हैं । यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परामर्शदाता, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निर्भर करती है । कुटुम्ब न्यायालयों में सुधार के लिए पर्याप्त अवसंरचना और पर्याप्त प्रशिक्षण सहित विशेषज्ञ न्यायाधीश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने, पूर्वाग्रह को कम करने और सभी पक्षकारों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण सहित न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारिवृंद और पणधारियों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य है । महिला न्यायाधीशों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर विचार करने से प्रणाली की प्रभावशीलता में और वृद्धि हो सकती है ।

सरकार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, माननीय विधि और न्याय मंत्री के स्तर से पत्र भेजकर इन मुद्दों को राज्यों और उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाई है । ऐसी अंतिम सूचना तारीख 15.07.2023 को भेजी गई थी । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं । अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाने तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करके दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । यह मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों में वृद्धि सम्मिलित है, तथा अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रियाओं की

पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर बल देना भी हैं । इन पहलों के दायरे में कुटुम्ब न्यायालय भी सम्मिलित हैं । मुख्य पहलें नीचे दी गई हैं :

i. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचनात्मक सुधार : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) वर्ष 1993 में प्रारंभ की गई थी । इस स्कीम के अधीन, तारीख 30.06.2014 तक न्यायालय कक्षों की संख्या 15,818 से बढ़कर तारीख 31.12.2023 को 21,524 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 31.12.2023 को 18,951 हो गई है । स्कीम के प्रारंभ से तारीख 06.02.2024 तक 10,567.00 रूपये की रकम जारी की जा चुकी है । इस स्कीम को 9,000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें केंद्रीय अंश 5,307 करोड़ रुपये होगा । न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण भी सम्मिलित होगा ।

ii. बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना : केंद्रीय सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए पूरे देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है । अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । केस सूचना सॉफ्टवेयर का नया और उपयोगकर्ता के अनुकूल संस्करण विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी, राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/ निर्णयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 02.02.2024 तक, वादी 24.99 करोड़ से अधिक मामलों की मामला स्थिति का पता लगा सकते हैं और इन न्यायालयों से संबंधित 24.87 करोड़ आदेशों/निर्णयों तक पहुंच सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे मामला रजिस्ट्रीकरण, वाद सूची, वाद स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे, ई-न्यायालय वेब पोर्टल, सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्रों (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ईमेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवाओं के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं । 3,240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1,272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है ।

कोविड-19 की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने और वर्चुअल सुनवाई में परिवर्तन को आसान बनाने के उद्देश्य से वकीलों और वादियों को मामले की स्थिति से लेकर निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं में सहायता के लिए न्यायालय परिसरों में 880 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं । वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिनों में उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए 28.886 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई-फाइलिंग के लिए 1,732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी है, क्योंकि सामूहिक सुनवाई और सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन के प्रारंभ से, जिला न्यायालयों ने तारीख 31.12.2023 तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 82,76,595 मामलों (कुल 3 करोड़ से अधिक) की सुनवाई की ।

iii. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.12.2023	25,348	20,018

iv. बकाया समितियों के माध्यम से/उनके द्वारा अनुवर्तन से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है । जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियां गठित की गई हैं । उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने हेतु उपाय करने के लिए उच्चतम न्यायालय में बकाया समिति का गठन किया गया है । पहले भी, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों के साथ इस मामले को उठाया था और उनका ध्यान पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की ओर आकर्षित किया था तथा लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाया था । विभाग ने मलिमथ समिति रिपोर्ट के बकाया समापन योजना के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है ।

****

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *113, जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2024 को दिया है, के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबंध

कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों के और पिछले तीन वर्षों के दौरान फाइल किए गए, निपटाए गए तथा लंबित मामलों के, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्य कर रहे न्यायालय	फाइल किए गए मामले			निपटाए गए मामले			लंबित मामले		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	15	5635	6877	8552	1632	4990	8090	10069	10447	13205
2	अंदमान निकोबार	1	0	0	262	0	0	307	0	0	799
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	7	3935	6130	5758	4103	7450	4937	9356	7532	7158
5	बिहार	39	19382	24085	22737	7795	22501	21445	69792	71376	72668
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	27	11525	15548	17550	9527	14995	16763	17779	18718	19505
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	30	21382	22664	***	30166	21014	***	48520	***	***
10	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	गुजरात	36	18508	24910	27194	22124	26557	30084	35335	34761	31954
13	हरियाणा	28	33315	46271	49164	31589	48301	43652	65337	62231	64656
14	हिमाचल प्रदेश	3	2706	6275	4171	3096	5470	4160	5102	5924	6301
15	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	31	9380	13312	15782	5873	16670	16855	19371	15999	15306
17	कर्नाटक	40	21684	28208	29391	22603	28259	30409	39458	39397	38407
18	केरल	35	50975	68111	84610	47146	68289	86250	114020	113756	112267
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	63	18758	12974	41598	18140	13724	43231	25769	65283	64020
22	महाराष्ट्र	51	29321	40186	38830	26789	39673	40399	67315	67828	66259
23	मणिपुर	4	441	674	560	251	1058	422	634	628	720
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	नागालैंड	2	185	257	210	150	223	194	153	199	233
27	ओडिशा	30	10874	14653	15588	8980	19567	18577	44689	39786	36797
28	पुडुचेरी	2	873	1232	1094	835	1363	845	1452	1212	1473
29	पंजाब	33	61023	67286	68711	40297	71313	72668	85061	79413	73388
30	राजस्थान	50	30168	43357	50912	27187	41740	48155	46048	47957	50714

31	सिक्किम	2	240	349	287	286	417	325	195	148	35
32	तमिलनाडु	40	21774	25645	22608	13468	27775	23039	32519	30952	32222
33	तेलंगाना	23	10820	11814	13439	11622	10568	13227	18095	7213	18888
34	त्रिपुरा	9	2762	4028	3636	2717	3663	3726	3604	3977	3957
35	उत्तर प्रदेश	189	170634	229098	287494	183793	234047	284091	396462	390256	396875
36	उत्तराखंड	18	10749	13342	14707	11319	14722	14726	15997	14617	14591
37	पश्चिमी बंगाल	4	165	301	657	118	351	312	1166	1124	1517
38	**योग**	**812**	**497447**	**727587**	**825502**	**531606**	**744700**	**826889**	**1173298**	**1130734**	**1143915**
	***** संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया ।**										

****